न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/103/2004/चितौडगढ

1. शमशेर खां पुत्र फकीर मोहम्मद खां पठान निवासी बडी सादडी जिला चितौडगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. चन्द्रसिंह पुत्र मोहन गहलोत
2. ादेवीसिंह पुत्र मोहन गहलोत
3. अमरसिंह पुत्र राधू राजपूत
   समस्त निवासीगण ग्राम बडी सादडी जिला चितौडगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडी सादडी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बडी सादडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत ग्राम बडी सादडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1369 रकबा 07बीघा 15बिस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 07 विवाद्यक की विरचना करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–07–2001 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–11–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मौजा बडी सादडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1369 रकबा 07बीघा 15बिस्वा पर अपीलार्थी का आधिपत्य उसके दादा

श्री हयात खां के समय से चला आ रहा है तभी से अपीलार्थी विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को विवादित आराजी पर जरिये पटटा ठिकाना बडी सादडी द्वारा दी गयी थी एवं भू–प्रबन्ध मेवाड में विवादित भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज थी। इस कारण भू–प्रबन्ध विभाग को विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण का केवल मात्र डेढ बीघा भूमि पर अतिक्रमण एक दो वर्ष के लिए रहा है, जिससे प्रतिवादी को विवादित आराजी पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आरजी खसरा नम्बर 1369 मेवाड भू–प्रबन्ध में बिलानाम दर्ज है, जिस पर वादी अथवा वादी अपीलार्थी के पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि विवादित आराजी उनके पक्षकार की है, जिस पर उनका कब्जा काश्त वर्षो से चला आ रहा है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् तनकीवार समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बडी सादडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत ग्राम बडी सादडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1369 रकबा 07बीघा 15बिस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 07 विवाद्यक की विरचना करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-07-2001 से खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या-1 के निर्णय में विवादित आराजी वादी अपीलार्थी के दादा हयात खां की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रिकार्ड मेवाड सेटलमैन्ट डिपार्टमैन्ट से प्रमाणित नहीं होना मानते हुए उक्त तनकी को वादी अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णीत किया तथा तनकी संख्या-2 के निर्णय में विवादित आराजी पर सम्वत् 1997 से लगातार काबिज काश्त नहीं होना मानते हुए उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया। इसी प्रकार तनकी संख्या-3 के निर्णय में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी को विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं मानते हुए प्रतिवादीगण के

विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं होना मानते उक्त उक्त तनकी संख्या–3 को भी वादी के विरूद्ध निर्णीत किया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद में कायम की गयी प्रमुख तनकी संख्या–1 से 3 को वादी अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णीत करते हुए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं होना मानते हुए खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह मानते हुए कि पट्टे की रूह में वादी के दादा हयातखां का नाम मेवाड सेट्लमैन्ट में दर्ज था, पूर्णतयाः गलत प्रमाणित होने एवं विवादित आराजी बिला नाम सरकारी भूमि होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विस्तृत विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य

में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 19–11–2003 एवं 11–07–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य